

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्नल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्नल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक: पू.वि.वि. / सम्बद्धता / 2024/2486
दिनांक: 03.08.24

सेवा में,

प्रबन्धक,
गोविन्द बल्लभ पंत डिप्पी कालेज,
प्रतापगंज, जौनपुर।

विषय: महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत अतिरिक्त विषय गृहविज्ञान एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में इतिहास, प्राचीन इतिहास, हिन्दी व समाजशास्त्र विषयों में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014-2(97)/2014, दिनांक—01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संस्थाधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुके अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है :-

वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है :-

- महाविद्यालय शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
- शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या— 5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- महाविद्यालय/संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक—30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समझी जाएगी।
- शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16 (33)/2015, दिनांक—12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करें।
- उक्त सम्बद्धता प्रामूल धनराशि, एन.वी.सी. प्रमाण-पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
- महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.H.S.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ०प्र० इलाहाबाद।
- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- अधीक्षक, शैक्षणिक को आगामी कार्यपरिषद के बैठक में कार्यपरिषद के संज्ञानार्थ रखे जाने हेतु।
- परीक्षा नियन्त्रक/अतिपोषनीय/परीक्षा विभाग।
- वेबमास्टर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।